

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक—एफ—३/६०/२०१२/३२
प्रति,

भोपाल, दिनांक / १०/२०१६

उप नियंत्रक
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल ।

विषय :— सीहोर विकास योजना २०३१ का अनुमोदन ।

उपरोक्त विषय में विभागीय सुचना दिनांक २४/१०/२०१६ की हिन्दी
एवं अँग्रेजी की प्रति संलग्न है । कृपया उक्त सूचना का साधारण राजपत्र के
आगामी अंक में प्रकाशन कर प्रकाशित राजपत्र की १० प्रतियाँ विभागीय उपयोग हेतु
भिजवाने का कष्ट करें ।

संलग्न :यथोपरि

(सुप्रिया पेंडके)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन


नगरीय विकास एवं आवास विभाग

भोपाल, दिनांक ५/१०/२०१६

क्रमांक—एफ—३/६०/२०१२/३२

प्रतिलिपि:-

आयुक्त सह सचालक नगर तथा ग्राम निवेश की और सूचना की प्रति
संलग्न कर अनुरोध है कि नगर तथा ग्राम निवेश की बेबसाईट पर प्रकाशित कराने
का कष्ट करें ।



Supriya Pendekar
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
२५/१०/२०१६

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

// सूचना //

भोपाल, दिनांक २५-१०- 2016

क्रमांक एफ-3-60/2014/32 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सीहोर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(2)में अनुमोदित की गई है , तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात—

- 1— कलेक्टर, सीहोर म0प्र0.।
- 2— संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला—कार्यालय सीहोर—भोपाल मप्र.।
- 3— मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद सीहोर म.प्र.।

2/ यह विकास योजना मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी के साधव)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

**Government of Madhya Pradesh
Urban Development and Housing Department
Mantralaya**

//Notice //

Bhopal, dated 24/10/2016

No. F-3-60/2014/32: Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for , Sehore, 2031 under sub- section (2) of section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973(No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:-

1. Collector, District Sehore, M.P.
 2. Joint Director, Town & Country Planning Distt. Office Sehore-Bhopal, M.P
 3. C.M.O. Municipal Council, Sehore (M.P.)
- 2/ The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in M.P. Gazette under section 19 (5) of M.P. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973.

**By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh**


(C.K.Sadhav)

Deputy Secretary

Government of Madhya Pradesh

Urban Development & Housing Deptt.
24/10/2016